भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1865

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली

†1865. श्री बसवराज बोम्मई:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
डॉ. भोला सिंह:
श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. के. सुधाकर:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री मनोज तिवारी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
डॉ. लता वानखेड़े:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में एक नई उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली शुरू की है और यदि हाँ, तो इसकी विशेषताओं, वर्तमान स्थिति और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कार्यान्वयन के दौरान क्या चुनौतियाँ आईं;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी देश भर के चुनिंदा टोल बूथों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर)-फास्टैग आधारित बाधा-रहित टोल प्रणाली शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित टोल प्लाजा की संख्या कितनी है और उनके चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में इस प्रणाली को पूरे देश में विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नई प्रणाली के तहत उल्लंघनों को रोकने, दंड और विवाद निवारण से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) क्या यह प्रणाली मध्य प्रदेश के देवास या शाजापुर जिलों से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) उद्योग एवं शिक्षा जगत के विशेषज्ञों वाली शीर्ष समिति और उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने सुरक्षा एवं गोपनीयता संबंधी चिंताओं तथा समग्र परिचालन नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौवहन उपग्रह समूह पर आधारित उपग्रह-आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के लिए आगे विचार-विमर्श की सिफारिश की है। परिणामस्वरूप, सेटेलाइट-आधारित प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी चालू नहीं है।

एएनपीआर फास्टैग प्रणाली (एएफएस) आधारित बैरियर लेस फ्री फ्लो टोलिंग के कार्यान्वयन के लिए कॉरिडोर/खंड आधारित परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है।

(ग) से (ङ) टोल संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए और वास्तविक शुल्क (टोल) प्लाजा के बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की निर्बाध और मुक्त प्रवाह आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के चुनिंदा खंडों पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जहां वाहन प्रयोक्ताओं से बिना रुके, गति धीमी किए या दिए गए शुल्क प्लाजा लेन में रुके बिना प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा।

अनुबंध के अनुसार शुल्क प्लाजा के लिए निर्बाध टोल प्रणाली को लागू करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित/अंतिम रूप दिया गया है, इन परियोजनाओं पर कार्यान्वयन के परिणाम और प्रभावकारिता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अन्य शुल्क प्लाजा पर इसे लागू करने की संभावना है।

निर्बाध शुल्क संग्रहण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए खंडों का चयन भौगोलिक स्थिति, यातायात की मात्रा, लेन संरेखण, भीड़भाड़ आदि सहित कई कारकों के संयोजन पर आधारित था।

(च) निर्बाध शुल्क संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत, उल्लंघन या गैर-फास्टैग मामलों को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नोटिस (ई-नोटिस) के माध्यम से समाधान करने का प्रस्ताव है।

सड़क प्रयोक्ता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ई-नोटिस पोर्टल, राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033, समर्पित ईमेल- falsededuction@ihmcl.com, फास्टैग जारीकर्ता बैंक हेल्पलाइन या राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

(छ) जी, नहीं।

अनुबंध

'उपग्रह-आधारित टोल प्रणाली' के संबंध में श्री बसवराज बोम्मई व अन्य सदस्यों के द्वारा दिनांक 31.07.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

शुल्क प्लाजा का विवरण जिनके लिए निर्बाध टोलिंग के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित/अंतिम रूप दिया गया है:

शुल्क प्लाजा का नाम	**राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का नाम**	**अवस्थिति**
चोर्यासी	भरूच- सूरत (एनएच-8)	सौंपा गया
घरौंडा	पानीपत -जालंधर (एनएच-44)	बोली मूल्यांकनाधीन
नेमिली (श्रीपेरंबदूर)	वालजापेट - पूमल्ले (एनएच-48)	बोली मूल्यांकनाधीन
बिजवासन और पंचगांव एकीकृत	द्वारका एक्सप्रेसवे, एनएच 248बीबी	बोलियां आमंत्रित
मनोहरपुरा	दिल्ली-जयपुर (एनएच-48)	बोलियां आमंत्रित
शाहजहांपुर	दिल्ली-जयपुर (एनएच-48)	बोलियां आमंत्रित
दौलतपुरा	दिल्ली-जयपुर (एनएच-48)	बोलियां आमंत्रित
यूईआर-II	शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-II), एनएच-344एम और एनएच-344एन	पुनः बोली प्रक्रिया के अधीन

*****